Annex I

July, 2021
Shifted to MoF

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228149
CG-DL-E-06072021-228149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2517] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943
No. 2517] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2718(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ इकसठवां संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(क) प्रथम अनुसूची में,-

(i) "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(v) वित्तीय सेवाएं विभाग" उप-शीर्षक के पश्चात निम्नलिखित उप-शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vi) लोक उद्यम विभाग";

(ii) "16. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

"16. भारी उद्योग मंत्रालय";

(ख) द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ङ. वित्तीय सेवाएं विभाग" उप-शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"च. लोक उद्यम विभाग

"1. पूर्ववर्ती लोक उद्यम ब्यूरो जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है, से संबंधित अवशिष्ट कार्य।

2. सभी पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रभावित करने वाले साधारण नीतिगत विषयों का समन्वय।

3. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और अनुश्रवण जिसमें समझौता ज्ञापन तंत्र भी सम्मिलित है।

4. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए स्थायी माध्यस्थम तंत्र से संबंधित मामले।

5. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास।

6. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय का पुनर्विलोकन।

7. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने और पब्लिक सेक्टर उद्यमों में अन्य क्षमता निर्माण शुरुआतों के उद्देश्य से उपाय।

8. पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनरसंरचना या बंद करने से संबंधित सलाह देना जिसमें संबंधित तंत्र भी सम्मिलित है।

9. लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।

10. अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र से संबंधित मामला।

11. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों का वर्गीकरण, जिसमें 'रत्न' दर्जा प्रदान करना सम्मिलित है।

12. पब्लिक उद्यमों का सर्वेक्षण।";

(ii) "भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात: -

"भारी उद्योग मंत्रालय

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड।

2. दि माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड।

3. दि इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड।

4. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड।

5. एच.एम.टी. बियरिंग लिमिटेड।

6. एच.एम.टी. लिमिटेड।

7. एच.एम.टी. इंटरनेशनल लिमिटेड।

8. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड।

9. एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड।

10. भारत ऑपथाल्मिक ग्लास लिमिटेड।

11. भारत लैदर कारपोरेशन।

12. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

13. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

*****

14. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ।
15. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ।
16. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफ़ैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ।
17. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ।
18. हुगली प्रिंटिग कम्पनी लिमिटेड ।
19. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ।
20. दि मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड ।
21. नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड ।
22. नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
23. दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।
24. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ।
25. एन.ई.पी.ए. लिमिटेड ।
26. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ।
27. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ।
28. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड ।
29. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।
30. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।
31. प्राग टूल्स लिमिटेड ।
32. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ।
33. सांभर साल्ट्स लिमिटेड ।
34. फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।
35. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड:

समनुषंगी:

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्ज लिमिटेड;

(ख) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड;

(ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड;

(घ) ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड;

(ङ) बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड;

(च) जेसप एंड कम्पनी लिमिटेड;

(छ) दि लैगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड;

(ज) ब्रेथवेट, बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड;

(झ) रेरोल बर्न लिमिटेड;

(ञ) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड ।

36. भारत यंत्र निगम लिमिटेड:

समनुषंगी:

(क) दि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद;

(ख) दि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटेड, दुर्गापुर;

(ग) दि भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड;

(घ) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड;

(ङ) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड;

(च) ब्रिज एंड रूफ कंपनी ।

37. मारूति उद्योग लिमिटेड ।

38. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्कर का विनिर्माण ।

39. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग ।

40. मशीनरी उद्योग जिसके अंतर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण भी हैं ।

41. आटो उद्योग, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाले उपस्कर भी हैं ।

42. सभी प्रकार के डीजल इंजन ।

43. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पुणे ।

44. राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) तथा एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी (एनएटीआईएस)।"।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/2/2021- मंत्रि.]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2718(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixty First Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(a) in THE FIRST SCHEDULE, -

(i) under the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)", after the sub-heading "(v) Department of Financial Services (Vittiya Sewayen Vibhag)", following sub-heading shall be inserted, namely:-

"(vi) Department of Public Enterprises (Lok Udyam Vibhag)";

(ii) for the heading "16. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Bhari Udyog aur Lok Udyam Mantralaya)" and sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely:-

"16. Ministry of Heavy Industries (Bhari Udyog Mantralaya)";

(b) in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA), after the sub-heading "E. DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES (VITTIYA SEWAYEN VIBHAG)", and entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

"F. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)

1. Residual work relating to erstwhile Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.

2. Coordination of matters of general policy affecting all Public Sector Enterprises.

3. Evaluation and monitoring the performance of Public Sector Enterprises, including the Memorandum of Understanding mechanism.

4. Matters relating to Permanent Machinery of Arbitration for the Public Sector Enterprises.

5. Counselling, training and rehabilitation of employees in Central Public Sector Undertakings under Voluntary Retirement Scheme.

6. Review of capital projects and expenditure in Central Public Sector Enterprises.

7. Measures aimed at improving performance of Central Public Sector Enterprises and other capacity building initiatives of Public Sector Enterprises.

8. Rendering advice relating to revival, restructuring or closure of Public Sector Enterprises including the mechanisms therefor.

9. Matters relating to Standing Conference of Public Enterprises.

10. Matters relating to International Center for Public Enterprises.

11. Categorisation of Central Public Sector Enterprises including conferring 'Ratna' status.

12. Survey of Public Enterprises.";

(ii) for the heading "MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)", and sub-headings and entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES (BHARI UDYOG MANTRALAYA)

1. The Heavy Engineering Corporation Limited.

2. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited.

3. The Engineering Projects (India) Limited.

4. Bharat Heavy Electricals Limited.

5. H.M.T. Bearing Limited.

6. H.M.T. Limited.

7. H.M.T. International Limited.

8. Scooters India Limited.

9. Andrew Yule and Company Limited.

10. Bharat Opthalmic Glass Limited.

11. Bharat Leather Corporation.

12. Cement Corporation of India Limited.

13. Cycle Corporation of India Limited.

14. Hindustan Cables Limited.

15. Hindustan Paper Corporation Limited.

16. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited.

17. Hindustan Salts Limited.

18. Hooghly Printing Company Limited.

19. Instrumentation Limited.

20. The Mandya National Paper Mills Limited.

21. Nagaland Pulp and Paper Company Limited.

22. National Bicycle Corporation of India Limited.

23. The National Industrial Development Corporation Limited.

24. National Instruments Limited.

25. N.E.P.A. Limited.

26. Rajasthan Electronics and Instruments Limited.

27. Hindustan Newsprint Limited.

28. Damodar Cement and Slag Limited.

29. Tannery and Footwear Corporation of India Limited.

30. Tyre Corporation of India.

31. Praga Tools Limited.

32. Rehabilitation Industries Corporation.

33. Sambhar Salts Limited.

34. Fluid Control Research Institute.

35. Bharat Bhari Udyog Nigam Limited:

SUBSIDIARIES

(a) Bharat Brakes and Valves Limited;

(b) Bharat Process and Mechanical Engineers Limited;

(c) Bharat Wagon and Engineering Company Limited;

(d) Braithwaite and Company Limited;

(e) Burn Standard Company Limited;

(f) Jessop and Company Limited;

(g) The Lagan Jute Machinery Company Limited;

(h) Braithwaite, Burn and Jessop Construction Limited;

(i) Reyrolle Burn Limited;

(j) Weighbird (India) Limited.

36. Bharat Yantra Nigam Limited:

SUBSIDIARIES

(a) The Triveni Structurals Limited, Allahabad;

(b) The Tungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur;

(c) The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited;

(d) Bharat Pumps and Compressors Limited;

(e) Richardson and Cruddas (1972) Limited;

(f) Bridge and Roof Company.

37. Maruti Udyog Limited.

38. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.

39. Heavy electrical engineering industries.

40. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.

41. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

42. All types of diesel engines.

43. Automotive Research Association, Pune.

44. National Automative Testing and Research and Development Infrastructure Project (NATRIP) and NATRIP Implementation Society (NATIS).".

Ram Nath Kovind

President

[F. No. 1/21/2/2021-Cab.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.06 23:42:09 +05'30'